प्रेस नोट–145/2026

दिनांक 13.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद</u>

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.03.2026 को थाना शाहाबाद, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुकीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 05 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बरेली, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मुकीम निवासी मकान संख्या 61 पशुपति नाथ मंदिर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–05 हजार रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.03.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिगाड़ी बनवासी मोड़ महताबपुर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नवनीत उर्फ अर्पित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नवनीत उर्फ अर्पित निवासी बढुआ गोदाम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकंदरा

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.03.2026 को थाना सिकंदरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सींगना गांव मथुरा बार्डर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हिमांशू उर्फ शनि को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिकंदरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हिमांशू उर्फ शनि निवासी करनपुर थाना फरह जनपद मथुरा।

जनपद मऊ/थाना चिरैयाकोट

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 13 लाख 10 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु (73 ग्राम) –सफेद धातु (1.12 किग्रा) के आभूषण**
- **नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 13.03.2026 को थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अल्देमऊ सरौदा मार्ग के पास से 03 अभियुक्तों 1–मनीष 2–छोटे लाल उर्फ छोटू 3–इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 13 लाख 10 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु (73 ग्राम) –सफेद धातु (1.12 किग्रा) के आभूषण, नगद रूपये आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त मनीष के विरूद्ध जनपद मऊ, कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त छोटे लाल उर्फ छोटू के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, मऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष निवासी सुजावलपुर कपूरपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

2–छोटे लाल उर्फ छोटू निवासी पिपरही थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

3–इमरान निवासी रजदेपुर नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लगभग 13 लाख 10 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु (73 ग्राम) –सफेद धातु (1.12 किग्रा) के आभूषण।

2–नगद रूपये आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 13.03.2026 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नट मढैय्या गोल चक्कर के पास से 02 अभियुक्तों 1–अवधेश 2–बलराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.02.2026 को थाना बीटा–2 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अवधेश निवासी ग्राम शेखगडी थाना सिकंदराराव जनपद हाथरस, हालपता सेक्टर–2 पतवारी थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–बलराज निवासी सुभाष नगर थाना सिविल लाइन जनपद कैथल हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना हसायन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हसायन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नन्नू 2–राजकुमार 3–रामू को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिक पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लब्बर उर्फ चन्द्रभाल उर्फ शुभम को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

———————